

30.01.18

वकील अपीलान्ट या स्वयं अपीलान्ट कोई उपस्थित  
नहीं हों अपी. को बार बार आवाजे दिलाई गई  
अपी. की ऑरख कोई उपस्थित नहीं आया।  
अतः अपील अपीलान्ट अदम हाजरी व अदम  
फैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली  
फैसल शुमार होकर बाद वकील जाब्त  
दालिल दफ्त र-हो।

संभागीय आयुक्त

भरतपुर, कैम्प सवाई माधोपुर